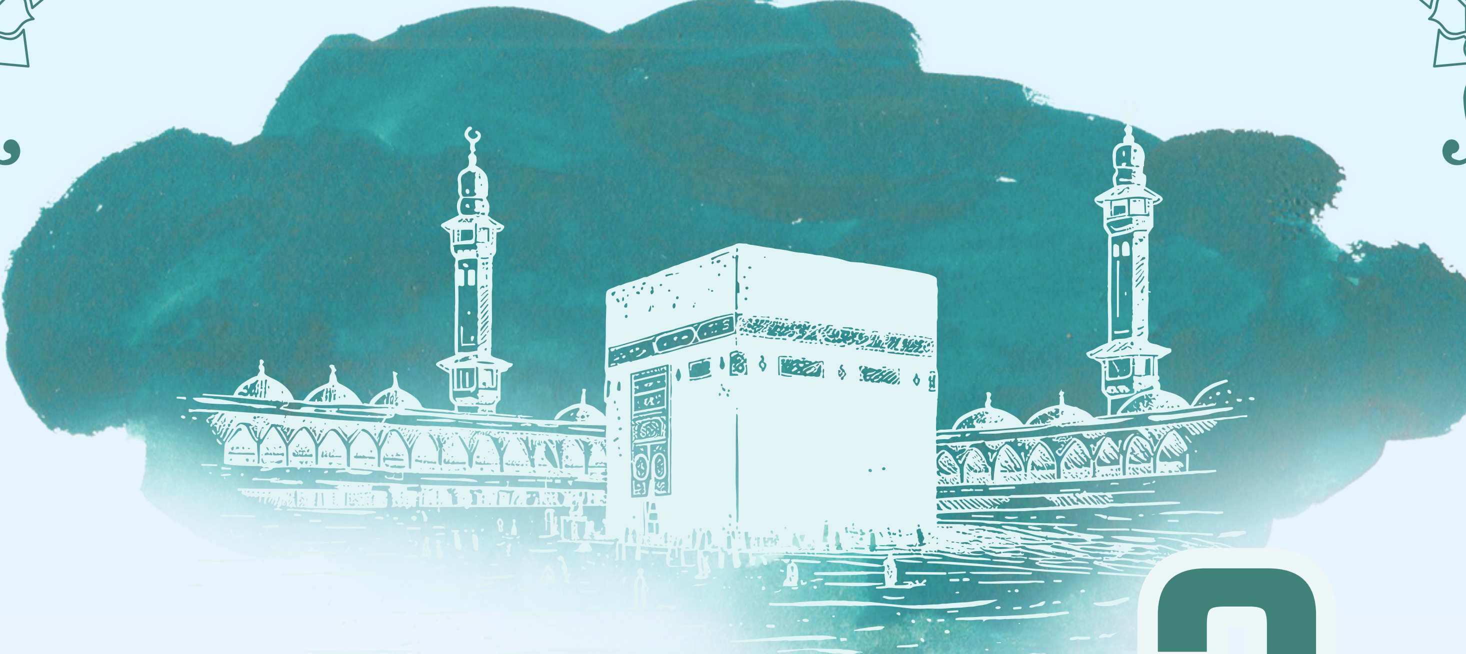


कुरबानी

एक अज़ीम इबादत

खलीफा ए मुफ़क्किर ए इस्लाम

अरबाज़ रज़ा क़ादरी मुजद्दीदी

(VICE PRESIDENT OF TAHREEK ULAMA E HIND)

بسم الله الرحمن الرحيم

कुरबानी इस्लाम की अहम इबादतों में से एक है, जो हर साल ज़िलहिज्जा के मुबारक दिनों में अदा की जाती है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह तआला की रज़ा हासिल करने का एक ज़रिया है।

अक्सर देखा जाता है कि लोग कुरबानी तो करते हैं, लेकिन उसके जरूरी मसाइल, सही तरीक़ा और उससे जुड़ी हिदायतों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते। इसी वजह से कभी-कभी जाने-अनजाने में गलतियाँ भी हो जाती हैं और कई बार तो ये ग़लती इतनी बड़ी होती है कि कुरबानी का वाजिब अदा ही नहीं होता। इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए यह छोटा सा रिसाला तैयार किया गया है, जिसमें कुरबानी से जुड़ी ज़रूरी मालूमात, आसान और साफ़ ज़बान में जमा की गई हैं। इसमें कोशिश की गई है कि हर आम इंसान बिना किसी मुश्किल के इसे समझ सके और उससे फायदा उठा सके। यह रिसाला उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो पहली बार कुरबानी कर रहे हैं, या जो सही तरीक़े से इस इबादत को अदा करना चाहते हैं। साथ ही यह तलबा, उस्ताद और तबलीग़ के काम से जुड़े लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। हमारी कोशिश है कि कम अल्फ़ाज़ में काम की बातें पेश की जाएं, ताकि पढ़ने वाला जल्द समझ सके और अमल कर सके।

अल्लाह तआला से दुआ है कि वोह इस छोटे से काम को क़ुबूल फरमाए, इसे हमारे लिए और पढ़ने वालों के लिए नफ़ा का ज़रिया बनाए, और हमें सही समझ के साथ इस अज़ीम इबादत को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।

آمین

खुश दिली से कुरबानी करो

हज़रत आयशा رضي الله عنها से मर्वी है कि हुज़ूर नबी ए पाक ﷺ ने फरमाया कि 10वीं ज़िल हिज्जा में औलादे आदम का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक कुरबानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं और वोह जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा और कुरबानी का ख़ून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के नज़दीक क़ुबूल हो जाता है लिहाज़ा इसको खुश दिली से करो।

(तिरमिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, सफ़ा 180)

हर बाल के बदले मे नेकी

हज़रत ज़ैद बिन अरक़म رضي الله عنه से रिवायत है कि सहाबा ने अर्ज़ की या रसुलल्लाह ﷺ ये कुरबानी क्या है? तो रसूलल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः तुम्हारे बाप इब्राहिम عليه السلام की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज़ की या रसुलल्लाह ﷺ हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? फरमाया हर बाल के बदले नेकी है।

(मिश्कात शरीफ, सफ़ा 129)

70 गुना इजाफे के साथ मीज़ान में

हज़रत अली رضي الله عنه से रिवायत है कि हुज़ूर नबी ए पाक ﷺ ने हज़रत फातिमा رضي الله عنها से फरमाया, ए फातिमा खड़ी हो और अपनी कुरबानी पर हाज़िर हो बेशक कुरबानी के ख़ून के पहले क़तरे के साथ तुम्हारे हर पिछले गुनाह की माफ़ी कर दी जाएगी और फरमाया कुरबानी का जानवर क़यामत के दिन अपने गोश्त और खून के साथ लाया जाएगा और उसका 70 गुना बढ़ा कर कुरबानी करने वाले के मीज़ान मे वज़न किया जाएगा।

(كنز العمال ج ٥/ ص ٨٦/ بيروت)

जहन्नम से रोक

हज़रत इमाम हुसैन رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ए पाक ﷺ ने फरमाया जिसने खुश दिली से, सवाब की नीयत रखते हुए कुरबानी की तो वोह कुरबानी उसके लिए जहन्नम से रोक हो जाएगी।

(مجمع الزوائد ج ٣ ص ٣٤ ، كنز العمال ج ٥ ص ٣٤ ،الفصل السابع فی الاضاحی/بیروت)

सबसे ज़्यादा मह़बूब

हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी ए पाक ﷺ ने फरमाया की जो माल ईद के दिन कुरबानी पर ख़र्च किया गया उससे ज़्यादा कोई माल अल्लाह के नज़दीक प्यारा नहीं।

(كنز العمال ج ٥/ ص ٣٤ ،المعجم الكبير ج ١٨ / ص ٢٣٩/بيروت)

कुरबानी किस पर वाजिब है

हर बालिग़, मुक़ीम, मुसलमान मर्द व औरत मालिके निसाब पर कुरबानी वाजिब है। मालिके निसाब होने से मुराद यह है कि उस शख्स के पास साढ़े बावन (52.5) तोला यानी 612.36 ग्राम चांदी या उतनी मालियत की रक़म या उतनी मालियत का तिजारत का माल या उतनी मालियत का हाजते अस्लिय्या के इलावा सामान हो और उस पर इतना कर्ज़ न हो जिसे अदा करके ज़िक्र कर्दा निसाब बाक़ी न रहे।

फ़ुक़हाए किराम फरमाते है हाजते अस्लिय्या (यानी जरूरीयाते जिंदगी) से मुराद वोह चीजें है जिनकी उमूमन इंसान को ज़रूरत होती है और इनके बग़ैर गुज़रे अवक़ात में शदीद तंगी महसूस होती है। जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सवारी और पेशे से मुतअल्लिक़ औजार वग़ैरह। अगर हाजते अस्लिय्या की तारीफ पेशे नज़र रखी जाये तो बख़ूबी मालूम होगा कि हमारे घरों में बेशुमार चीजें ऐसी है जो हाजते अस्लिय्या में दाख़िल नहीं लिहाज़ा अगर इनकी क़ीमत साढ़े बावन तोला (612.36 ग्राम) चांदी के बराबर पहुँच गई तो कुरबानी वाजिब होगी। अगर किसी शख़्स के पास रिहाइशी मकान के इलावा मकान हो जो कि किराये पर हो और उसके किराये पर ही उस शख़्स की गुज़र बसर हो, यूंही खेती बाड़ी की ज़मीन हो या भैंस या दीगर जानवर हों और उनसे हासिल होने वाली आमदनी ही से उसका और उसके अहलो इयाल का गुज़र बसर यानी खर्च पूरा होता हो और इन चीज़ों की क़ीमत अगर निसाब से ज़्यादा भी हो तब भी इसकी वजह से उस शख़्स पर कुरबानी वाजिब नहीं होगी, लेकिन अगर उस ज़मीन या मकान या गाड़ी या दुकान या जानवर वग़ैरह से आमदनी न हो या आमदनी हो लेकिन गुज़र बसर के लिये दीगर आमदनी भी हो तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों की क़ीमत निसाब की मिक़दार होने पर कुरबानी वाजिब हो जायेगी।

(الهداية ج ١، ص ٩٦)

- कुरबानी के लिए मर्द होना शर्त नहीं है। औरत पर भी कुरबानी उसी तरह वाजिब होती है जिस तरह मर्द पर वाजिब होती है। (بہارِ شریعت، حصہ ١٥)

- कुरबानी और ज़कात में एक फ़र्क़ येह कि ज़कात में माल पर साल गुज़रना शर्त है जब की कुरबानी वाजिब होने के लिए माल पर साल गुज़रना शर्त नहीं है।

(حاشية الطحطاوى ،ص ٧٢٣)

क्या कर्ज़ लेकर भी कुरबानी करनी होगी ?

जो लोग कुरबानी की ताक़त रखने के बावजूद अपनी वाजिब कुरबानी अदा नहीं करते, तो उन्हें सोचना चाहिए कि उनका पहला नुक़सान तो क्या ये कम है कि कुरबानी न करने से वोह इतने बड़े सवाब से महरूम रह गए और मजीद येह कि वो गुनाहगार और जहन्नम के हक़दार भी बन गये।

कुरबानी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी पर कुरबानी वाजिब हो, लेकिन कुरबानी करने के लिए पैसे नहीं हो तो कर्ज़ लेकर कुरबानी करनी होगी।

हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी رحمة الله عليه फरमाते हैं, "अगर किसी पर कुरबानी वाजिब है और उस वक़्त उसके पास रुपए नहीं हैं तो कर्ज़ ले कर या कोई चीज़ बेचकर अपनी कुरबानी अदा करे।" (फतावा अमजदिय, जिल्द 3, सफ़ा 315)

याद रहे कि जिस शख़्स पर शरई उसूलों के मुताबिक़ कुरबानी वाजिब है उस पर कुरबानी से मुतअल्लिक़ मसाइल सीखना भी लाज़िम है। आज इल्मे दीन से दूरी के बाइस मुसलमानों की एक तादाद कुरबानी को भी उस तरह अदा नहीं कर पाती जैसा इसे अदा करने का हुक्म है। आजकल यह हाल है कि एक ही घर में एक से ज़्यादा मालिके निसाब अफ़राद मौजूद हैं लेकिन पूरे घर की तरफ़ से एक ही बकरा कुरबानी कर रहे हैं और कुरबानी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए? क्या ऐब (Fault) की वजह से कुरबानी नहीं होगी? लोगों को मालूम ही नहीं होता और फिर कुरबानी करने के बाद ख़ुशफ़हमी में मुब्तला रहते हैं कि हमने भी सुन्नत इब्राहीमी पर ्अमल कर लिया और हमारा वाजिब अदा हो गया। हालाँकि उन के ज़िम्मे वाजिब की अदाएगी बाक़ी रहती है। इस लिए कुरबानी के अहकाम का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। मुआशरे में फैली इस जहालत और इस तरह की दीगर जहालत को ख़त्म करने और घर-घर में इल्म का चिराग़ जलाने के लिए तहरीक उलमा ए हिन्द का ऑनलाइन दीनी कोर्सेज करवाने वाला डिपार्टमेंट मुजद्दीदी इंस्टीट्यूट ऑफ कुरआन (MIQ) इस मैदान में अपनी ख़िदमात अंज़ाम दे रहा है। लिहाज़ा अपनी और अपने घरवालों की आख़िरत संवारने, इल्म ए दीन की बहारें लूटने और घर बैठे इल्म ए दीन हासिल करने के लिए हर वक़्त इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहिये।

एक ग़लत फ़हमी की इस्लाह़

मुसलमान औरतों के पास पहनने के ज़ेवर (सोना और चांदी के) मौजूद होते हैं इसीलिए अक़्सर औरतों पर निसाब पूरा होने पर कुरबानी और ज़कात वाजिब हो जाती है लेकिन इल्म की कमी होने की वजह से लोग ये गुमान करते हैं कि इस्तेमाल में आने वाले ज़ेवरात पर कुरबानी और ज़कात वाजिब नहीं होती जब की ये ग़लत बात और ज़हालत है। याद रहे अगर किसी औरत के पास इतना सोना और चांदी के ज़ेवरात हैं जिनकी क़ीमत साढ़े बावन तौला यानी 612.36 ग्राम चांदी की क़ीमत तक पहुंच जाए तो इस माल की वजह से औरत पर कुरबानी, और ज़कात की दीगर शराईत पाई जाने पर ज़कात वाजिब हो जाएगी।

कुर्बानी के बारे में कुछ एहतियातें

- बहुत से लोग पूरे घर की तरफ़ से सिर्फ़ एक बकरा कुरबानी करते हैं, जबकि कई बार घर के कई अफराद (Member) साहिबे निसाब होते हैं और इस वजह से उन सभी पर कुरबानी वाजिब होती है लिहाज़ा उन सब की तरफ से अलग-अलग कुरबानी की जायेगी। एक बकरा जो सब की तरफ़ से कुरबानी किया गया उससे किसी का भी वाजिब अदा न हुआ। क्योंकि बकरे में एक से ज्यादा हिस्से नहीं हो सकते किसी एक तै शुदा (Fix) फ़र्द ही की तरफ़ से बकरा कुरबानी हो सकता है।
- बड़े जानवर यानी भैंस वग़ैरह में 7 हिस्से हो सकते हैं।
- अगर किसी ने अपनी बालिग़ औलाद या अपनी बीवी की इजाज़त लिये बग़ैर उनकी तरफ से कुरबानी की, तो उनकी तरफ से वाजिब अदा नहीं होगा।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़ा 428)

इजाज़त 2 तरह से होती हैः

(1) सराहतन यानी उनमें से कोई साफ़ तौर से कह दे कि मेरी तरफ से कुरबानी कर दो।

(2) दलालतन (Under Stood) यानी येह अपनी औलाद या बीवी की तरफ़ से कुरबानी करता है और उन्हें यह बात मालूम है और वोह इस बात पर राज़ी हैं।

- कुरबानी के वक़्त में कुरबानी करना ही लाज़िम है कोई दूसरी चीज़ इसके क़ायम मक़ाम नहीं हो सकती जैसे कुरबानी करने की जगह बकरा या उसकी क़ीमत सदक़ा कर दी जाए तो या काफी नहीं है।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़ा 335)

कुरबानी के जानवर की उम्र

- ऊंटः पांच साल
- भैंसः दो साल
- बकरा (इसमें बकरी, दुंबा, दुम्बी, और भेड़ (नर व मादा) दोनों शामिल हैं): एक साल

इससे कम उम्र हो तो कुरबानी नाजायज़, ज़्यादा होतो जायज़ बल्कि अफ़ज़ल है। हां अगर दुंबा या भेड़ का छः महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुरबानी जायज़ है। (درمختار، ج ۹، ص ۵۳۳)

याद रखिये मुतलकन छः महीने के दुंबे की कुरबानी जायज़ नहीं, इसका इतना तग़ड़ा और क़द आवार होना ज़रूरी है कि दूर से देखने में साल भर का लगे। अगर छः महीने का या साल में एक दिन भी कम उम्र का दुंबा या भेड़ का बच्चा दूर से देखने में साल भर का नहीं लगता तो उसकी कुरबानी जायज़ नहीं।

कुरबानी के जानवर में ऐब

1. कुरबानी का जानवर बे ऐब़ होना ज़रूरी है अगर थोड़ा सा ऐब़ हो (मसलन कान में चीरा या सुराख़ हो) तो कुरबानी मकरूह होगी और ज़्यादा ऐब़ हो तो कुरबानी नहीं होगी। (बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़ा 340)

2. जिसके पैदाइशी सींग न हो उसकी कुरबानी जायज़ है और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुरबानी नहीं होगी और सिर्फ़ ऊपर से टूटे हैं जड़ सलामत हैं तो हो जाएगी। (فتاویٰ ہندیہ، ج ۵، ص ۲۹۷)

3. जिस जानवर का कान फटा हुआ हो उसकी कुरबानी जायज़ है। (فتاویٰ ہندیہ، ج ۵، ص ۲۹۷)

4. ख़स्सी जानवर की कुरबानी जायज़ ही नहीं बल्कि अफ़ज़ल है लिहाज़ा ये जो आवाम में ग़लत फ़हमी मशहूर है कि जानवर का ख़स्सी होना एक ऐब है ये ग़लत है याद रहे जानवर अगर ख़स्सी हो तो उसकी कुरबानी ज़्यादा अफ़ज़ल है। (فتاویٰ رضویہ، ج ۸، ص ٤٤٢)

5. जिस जानवर की नाक कटी हुई हो उसकी कुरबानी जायज़ नहीं है। (فتاویٰ ہندیہ، ج ۵، ص ۲۹۷)

6. लंगड़ा जानवर जो कुरबानी गाह तक चलकर नहीं जा सकता या जिस जानवर की एक टांग कटी हुई हो उसकी कुरबानी जायज़ नहीं है। (فتاویٰ ہندیہ، ج ۵، ص ۲۹۹)

7. अंधा, काना जिस का कानापन ज़ाहिर हो या और बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो उन सब जानवरों की कुरबानी जायज़ नहीं है। (فتاویٰ ہندیہ، ج ۵، ص ۲۹۷)

कुरबानी करने वाला बाल व नाखून न काटें

हक़ीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खांन رحمة الله عليه एक हदीसे पाक जिसमें नबी ए पाक ﷺ ने इरशाद फरमाया "जब अशरह आ जाये और तुम में कोई कुरबानी करना चाहे तो अपने बाल व खाल को बिल्कुल हाथ न लगाए" के तहत फरमाते हैं: "जो अमीर वाजीबन या फ़क़ीर नफ़्लन कुरबानी का इरादा करे वोह ज़ुल हिज्जतिल हराम का चांद देखने से कुरबानी करने तक नाखून, बाल और अपने बदन की मुर्दार खाल वग़ैरह न काटे न कटवाए ताकि हाजियों से मुशाबहत हो जाए। यह हुक्म वाजिब नहीं मुस्तहब हैं लिहाज़ा किसी ने बाल या नाखून काट लिये तो गुनाह भी नहीं और ऐसा करने से कुरबानी में ख़लल भी नहीं आता और कुरबानी दुरुस्त हो जाती है लेकिन हत्तल इम्कान मुस्तहब पर भी अमल करना चाहिए।

ग़रीबों की कुरबानी

मुफ्ती अहमद यार खान رحمة الله عليه मजीद फरमाते हैं, "जो कुरबानी न कर सके वोह भी अशरह (ज़िल हिज्जतिल हराम के शुरु के 10 दिन) में हजामत न कराए, बक़रह ईद के दिन ईद की नमाज़ के बाद हजामत कराए तो कुरबानी का सवाब पाएगा।

(मिरआतुल मनाजीह, जिल्द 2, सफ़ा 370)

आला हज़रत رحمة الله عليه का एक फरमान

40 दिन के अन्दर अन्दर नाखून काटना, बग़लों और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना ज़रूरी है और 40 दिन से ज़्यादा ताख़ीर करना गुनाह है चुनान्चे मेरे आक़ा आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, "ज़िल हिज्जतिल हराम के शुरू के 10 दिन में नाखून वग़ैरह न काटने का हुक्म सिर्फ़ मुस्तहब है यानी करे तो बेहतर है और न करे तो गुनाह नहीं लिहाज़ा अगर किसी शख़्स ने 31 दिन से किसी मजबूरी या बिना मजबूरी के नाखून नहीं तराशें हों और ज़िल हिज्जतिल हराम का चांद नज़र आ गया हो तो वोह चाहे कुरबानी का इरादा रखता हो, उस मुस्तहब पर अमल नहीं कर सकता क्योंकि अब अगर अगले 10 दिनों तक नाखून नहीं तराशेगा तो 41 दिन हो जाएंगे और 40 दिन से ज़्यादा नाखून न तराशना गुनाह है लिहाज़ा मुस्तहब पर अमल करने के लिए गुनाह नहीं कर सकता।

(फतावा रज़विय्या, जिल्द 20, सफ़ा 353, 354)

कुरबानी का तरीक़ा

सुन्नत येह हैं कि ज़ब्ह करने वाला और जानवर दोनों क़िब्ला रू हों, हमारे इलाक़े में क़िब्ला मग़रिब (WEST) में हैं, इसलिए जानवर का सर जुनूब (SOUTH) की तरफ होना चाहिए ताकि जानवर बाएं पहलू लैटा हो और उसकी पीठ मशरिक़ (EAST) की तरफ़ हो ताकि उसका मुंह क़िब्ले की तरफ़ हो जाए और ज़ब्ह करने वाला अपना दाया पाउं जानवर की गरदन के दायें हिस्से पर रखे और ज़ब्ह करे और खुद अपना या जानवर का मुंह क़िब्ले की तरफ़ नहीं किया तो मकरुह है ।

(फतावा रज़विय्या, जिल्द 20, सफ़ा 216, 217)

कुरबानी की दुआ

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

और जानवर की गरदन के क़रीब पहलू पर अपना सीधा पांव रख कर

اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَر

पढ़कर तेज़ छुरी से जल्द ज़ब्ह कर दीजिए । कुरबानी अपनी तरफ़ से हो तो कुरबानी के बाद येह दुआ पढ़िए:

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

अगर दुसरे की तरफ़ से कुरबानी करें तो مِنِّيْ के बजाय مِنْ कहकर उसका नाम लीजिए।

(बहारे शरीअत, जिल्द 3, सफ़ा 352)

हिस्से वाली कुरबानी का एक अहम मसअला

हिस्से वाली कुरबानी में हिस्सा लेने वालों में से एक काफिर है या ऐसा बदमज़हब है जिसकी बदमज़हबी हद्दे कुफ्र तक पहुंच गई हो तो किसी की भी कुरबानी नहीं होगी।

(ہدایہ، ج ٤، ص ٣٣٤)

कुर्बानी का गोश्त

- **मुस्तहब यह है कि कुरबानी के गोश्त के तीन हिस्से किए जाए एक फुक़रा के लिए दूसरा हिस्सा दोस्त व अहबाब के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए।** (فتاویٰ شامی، ج ٩، ص ٤٧٤)
- **याद रहे कुरबानी के गोश्त के तीन हिस्से करना ज़रूरी नहीं बल्कि बेहतर है लिहाज़ा अगर किसी के अहलो इयाल ज्यादा हों और साहिबे वुसअत न हो तो उसके लिए बेहतर यह है कि सारा गोश्त अपने बाल बच्चों के लिए ही रख लें और अगर अहलो इयाल ज़्यादा न हों और सारा गोश्त अपने लिए रख लिया तो भी जाइज़ है।** (فتاویٰ شامی، ج ٩، ص ٤٧٤)
- **कुरबानी का गोश्त काफ़िर को देना जाइज़ नहीं है क्योंकि यहां के काफ़िर हरबी हैं।** (فتاویٰ رضویہ، ج ٨، ص ٤٦٧)
- **कुरबानी की आँत और ओझड़ी अगर ग़ैर मुस्लिम को दें तो कोई हरज़ नहीं सय्यिदी आला हज़रत फरमाते हैं कि आँत खाने की चीज़ नहीं फेंक देने की चीज़ है वोह अगर काफ़िर ले जाए या काफिर को दे दी जाए तो हरज़ नहीं।** (فتاویٰ رضویہ، ج ٨، ص ٤٦٧)
- **मन्नत या मर्हूम की वसीयत पर की जाने वाली कुरबानी का पूरा गोश्त फुक़रा और मसाकीन को सदक़ा करना वाजिब है न खुद खाए न मालदार को दे।** (बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़ा 345)
- **कुरबानी का चमड़ा या गोश्त या इसकी कोई चीज़ कसाई या ज़ब्ह करने वाले को मजदूरी (उजरत) में देना जायज़ नहीं।** (बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़ा 346)
- **कसाई को मजदूरी (उजरत) में नहीं दिया बल्कि जैसे दुसरे मुसलमानों को देता है इसको भी दे दिया और मजदूरी (उजरत) अपने पास से अलग से दी तो इस तरह देना जायज़ है।** (बहारे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़ा 346)

गोश्त के 22 अज्ज़ा जो नहीं खाए जाते

सय्यिदी आ़ला ह़ज़रत फरमाते हैं, "ह़लाल जानवर के सब अज्ज़ा ह़लाल हैं मगर कुछ वोह हैं जो ह़राम या ममनूअ या मकरूह है :

1. रगों का ख़ून
2. पित्ता
3. फूकना यानी मसाना
4. अलामतें नर
5. अलामतें मादा
6. कपूरे
7. गुदूद
8. ह़राम मग्ज़
9. गरदन के दो पट्ठे जो शानों तक खिंचे होते हैं
10. जिगर (यानी कलेजी का ख़ून)
11. तिल्ली का ख़ून
12. गोश्त का खून जो ज़िब्ह के बाद गोश्त से निकलता है
13. दिल का ख़ून
14. पित यानी वोह ज़र्द पानी जो पित्ते में होता है
15. पाखाने का मक़ाम
16. औझड़ी
17. आंतें
18. नुत्फ़ा
19. नाक की रतूबत जो भेड़ में अक्सर होती है
20. वो नुत्फ़ा जो खून हो गया
21. वोह नुत्फ़ा जो गोश्त का लोथड़ा हो गया
22. वोह नुत्फ़ा जो पूरा जानवर बन गया और मुर्दा निकला या बे ज़ब्ह मर गया।

(फतावा रज़विय्या, जिल्द 20, सफ़ा 240, 241)

तकबीर ए तशरीक़ किस तरह शुरू हुई

जब हज़रत सैय्यदना इब्राहिम عليه السلام ने हज़रत इस्माईल عليه السلام को ज़िब्ह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राइल عليه السلام बतौरे फ़िदिया जन्नत से एक मैंडा यानी दुंबा लिये तशरीफ़ लाये और दूर से ऊंची आवाज़ में फ़रमायाः

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

जब हज़रत सैय्यदना इब्राहिम عليه السلام ने येह आवाज़ सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ़ उठाया और जान गए कि अल्लाह पाक की तरफ़ से आने वाली आजमाइश का वक़्त गुज़र चुका है और बेटे की जगह फिदिये में मैंडा भेजा गया है लिहाज़ा खुश हो कर फ़रमायाः

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَر

जब हज़रत इस्माईल عليه السلام ने येह सुना तो फ़रमायाः

اَللّٰهُ اَكْبَر وَلِلّٰهِ الْحَمْد

इसके **बाद से इन तीनों पाक हज़रात के इन मुबारक अल्फ़ाज़ की अदायगी की येह सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी व सारी हो गई।**

(بنایہ شرح ہدایہ ج۳ص:۱۳۰)

इन मुबारक कलिमात को तकबीर ए तशरीक़ कहते हैं और ये 9 वीं ज़ुल हिज्जतिल ह़राम की नमाज़े फ़ज़र से 13 वीं की नमाज़े अ़सर तक पाँचों वक़्त की फर्ज़ की नमाज़ें जो मस्जिद की जमाअत मुस्तहब्बाह के साथ अदा की गई उन में एक बार बुलन्द आवाज़ से तकबीर कहना वाजिब है और 3 बार अफ़ज़ल है। तकबीर ए तशरीक़ सलाम फेरने के बाद फ़ौरन कहना वाजिब है। तकबीर ए तशरीक़ येह हैः

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْد

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा 784)

ईद की नमाज़ का तरीक़ा

पहले इस तरह निय्यत कीजियेः "मैं निय्यत करता हूं दो रक्अत नमाज़ ईदुल अज़्हा की, साथ छ ज़ाइद तक्बीरों के, वासिते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के फिर कानों तक हाथ उठाइये और اَللّٰہُ اَکْبَر कर हस्बे मा' मूल नाफ़ के नीचे बांध लीजिये और सना पढ़िये। फिर कानों तक हाथ उठाइये और اَللّٰہُ اَکْبَر कहते हुए लटका दीजिये। फिर हाथ कानों तक उठाइये और اَللّٰہُ اَکْبَر कह कर लटका दीजिये। फिर कानों तक हाथ उठाइये और اَللّٰہُ اَکْبَر कह कर बांध लीजिये या'नी पहली तक्बीर के बा'द हाथ बांधिये इस के बा'द दूसरी और तीसरी तक्बीर में लटकाइये और चौथी में हाथ बांध लीजिये। इस को यूं याद रखिये कि जहां क़ियाम में तक्बीर के बा'द कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांधने हैं और जहां नहीं पढ़ना वहां हाथ लटकाने हैं। फिर इमाम साहब तअव्वुज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़ कर अलहम्द शरीफ़ और सूरह बुलन्द आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, फिर इमाम साहब के साथ रुकूअ करे। दूसरी रक्अत में इमाम साहब अलहम्द शरीफ़ और सूरह पढ़ेंगे, फिर तीन बार कान तक हाथ उठा कर اَللّٰہُ اَکْبَر कहिये और हाथ न बांधिये और चौथी बार बिगैर हाथ उठाए اَللّٰہُ اَکْبَر कहते हुए रुकूअ में जाइये और काइदे के मुताबिक नमाज़ मुकम्मल कर लीजिये।
हर दो तक्बीरों के दरमियान तीन बार "سُبحان الله" कहने की मिक्दार चुप खड़ा रहना है।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा 781)

क्या औरतों पर भी ईद की नमाज़ वाजिब है ?

ईद उल फित्र और ईद उल अज़्हा वाजिब है मगर सब पर नहीं ये सिर्फ़ उन पर वाजिब है जिन पर जुम्मा वाजिब है। यानी औरतों पर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं है। ईद की नामज़ों में न अज़ान है न ही इक़ामत।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा 779)

ईद की नमाज़ की जमाअ़त छूट जाए तो क्या करें ?

इमाम ने ईद की नमाज़ पढ़ ली और कोई शख़्स बाक़ी रह गया यानी वोह शामिल न हो सका और उसकी जमाअ़त छूट गई तो अगर दूसरी जगह जमाअ़त मिल जाए तो पढ़ ले वरना बग़ैर जमाअ़त के नहीं पढ़ सकता। हां बेहतर यह है कि ये शख़्स 4 रकाअ़त नमाज़ चाश्त की पढ़ ले।

(درمختار، ج ۳، ص ۶۷)

तहरीक उलमा ए हिन्द का तआरुफ़

तहरीक उलमा ए हिन्द , एक ग़ैर सियासी, मुस्लिम मुआशरे में तालीम और तरबियत आम करने वाली तहरीक है। जब मुस्लिम नौजवान अपनी अस्ल, अपने दीन, अपनी तरबियत के साथ साथ दुनियावी सलाहियतें भी खो रहे थे और दीनी और दुनियावी दोनों ही मैदानों में हार का शिकार होते नज़र आ रहे थे तो मुस्लिम नौजवानों को दीनी साँचे में ढालने और उन्हें दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ﷺ के फ़ज़ल से वतन ए अज़ीज़ हिंदुस्तान के मशहूर अलीमे दीन खलीफा ए शेखुल आलम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ख़ालिद अय्यूब मिस्बाही नक्शबंदी ने इस बा बरकत और प्यारी तहरीक का आगाज़ किया और इस तरह तहरीक उलमा ए हिन्द वुजूद में आई।

यह तहरीक किसी एक शख़्स, एक तबक़े या एक मक़ाम तक महदूद नहीं, बल्कि यह एक फ़िक्र का नाम है वोह फ़िक्र जो उम्मत को इल्म से जोड़ना चाहती है, अमल की राह पर लाना चाहती है और आख़िरत की कामयाबी का ज़रिया बनाना चाहती है।

तहरीक के मक़ासिद

तहरीक उलमा ए हिन्द के चंद बुनियादी मक़ासिद यह हैं:

- उम्मत में सही अक़ीदा और सही अमल की तालीम देना।
- नौजवानों को दीन से जोड़ना और उनके अंदर इस्लाही जज़्बा पैदा करना।
- औरतों की दीनी तालीम का इंतेज़ाम करना, ताकि एक पाकीज़ा और दीनदार मुआशरा वुजूद में आए।
- मुआशरा में फैली हुई ग़फ़लत, बे-राह-रवी और बे-दीनी के ख़िलाफ़ इल्मी और अमली जद्दोजहद करना।
- मुस्लिम मुआशरे के लिए ऐसे इदारे क़ायम करना जहां दीनी और दुनियावी दोनों तालीम मज़बूत निज़ाम के साथ दी जा सके।
- मुस्लिम मुआशरे में बढ़ती बेलगाम जहालत पर लगाम लगाने और नस्लों में इल्म की खुशबू उतारने के लिए घर-घर में आलिमा तैयार करना।
- मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसे इदारे क़ायम करना जो मुस्लिम मुआशरे को ऐसे मक़ाम तक लेकर जाए जहां वोह न किसी दीनी मैदान में पीछे रहे न दुनियावी दौड़ में नाकामयाब हों।

तहरीक की ख़िदमात

तहरीक उलमा ए हिन्द की मुख़्तलिफ़ शोबा-जात में ख़िदमातः

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ तहरीक उलमा ए हिन्द महज़ एक तहरीक नहीं, बल्कि एक जामे और मुंतज़िम निज़ाम-ए-ख़िदमत है, जो उम्मत की ज़रूरतों को समझते हुए मुख़्तलिफ़ मैदानों में दीन व सुन्नीयत की ख़िदमात अंजाम दे रही है। यह तहरीक इल्म, अमल, तरबियत और इस्लाह, चारों पहलुओं को अपने दायरे में समेटे हुए एक ऐसा मुकम्मल इस्लाही माहौल क़ायम करने की जद्दोजहद में मसरूफ़-ए-अमल है, जिसकी बुनियाद क़ुरआन व सुन्नत पर रखी गई है।

नीचे तहरीक के अहम शोबा-जात और उनकी ख़िदमात का तफ़सीली तआरुफ़ पेश किया गया हैः

मुजद्दीदी इंस्टीट्यूट ऑफ़ कुरआन (MIQ)

यह शोबा मुसलमानों को घर बैठे ऑनलाइन दीनी तालीम देने के लिए क़ायम किया गया है। आज के दौर में जहाँ हर एक के लिए घर से बाहर निकलकर तालीम हासिल करना आसान नहीं, वहाँ MIQ ने "घर बैठे दीनी तालीम" का एक बेहतरीन और असरदार निज़ाम पेश किया है। इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये बहनों और भाइयों को क़ुरआन-ए-पाक की सही तिलावत, तज्वीद, फ़िक़्ह, अक़ीदा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतअल्लिक़ दीनी मसाइल की तालीम दी जाती है।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ अब तक 6 मुस्लिम बहनों को आलिमा और कई बहनों को मुबल्लिगाह, क़ारिया, नाज़रा की सनद से सरफ़राज़ किया जा चुका है, जबकि तक़रीबन 600 से ज़्यादा तलबा इस वक़्त तालीम हासिल कर रहे हैं। यह नतीजा इस बात की दलील है कि तहरीक आने वाले एक शऊर-याफ़्ता और दीनदार मुआशरे की तामीर में लगी हुई है।

एक तरफ़ जहां मुजद्दीदी इंस्टीट्यूट ऑफ कुरआन (MIQ) मुस्लिम बहनों के लिए घर बैठे, वालिदेन की निगाहों के सामने दीनी तालीम हासिल करने का जरिया बना है वहीं दूसरी तरफ उन सलाहियत मंद आलिमात और मुअल्लिमात के भी हलाल और बा बरकत रिज़्क़ का जरिया बना है जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ने अपने हुनर से दूर होती जा रही थी।

मुजद्दीदी मक़ातिब ऑफ़ कुरआन (MMQ)

तहरीक का यह शोबा नई नस्ल की दीनी बुनियाद को मज़बूत करने के लिए मख़सूस है। MMQ के तहत हिंदुस्तान के मुख़्तलिफ़ शहरों में मुस्लिम बच्चों को मुफ़्त क़ुरआन की तालीम दी जा रही है।

इन मक़ातिब में बच्चों को न सिर्फ़ क़ुरआन पढ़ाया जाता है, बल्कि उनके अंदर दीन से मुहब्बत, सुन्नत की पैरवी और अच्छे अख़लाक़ की तरबियत भी की जाती है।

आज के इस नाज़ुक दौर में, जहाँ नई नस्ल को दीन से दूर करने वाली कई ताक़तें काम कर रही हैं, वहाँ यह शोबा एक मज़बूत दीवार बनकर उनकी हिफ़ाज़त कर रहा है।

तहरीक वूमेन नेटवर्क (TWN)

आज का पढ़ा-लिखा और प्रोफेशनल तबक़ा, ख़ुसूसन मुस्लिम बहनें, अपनी अकादमिक और जॉब की मसरुफियात में अक्सर दीनी माहौल से दूर हो जाती हैं।

इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए तहरीक वूमेन नेटवर्क (TWN) क़ायम किया गया, जिसके ज़रिये कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जॉब करने वाली मुस्लिम बहनों तक दीन का पैग़ाम पहुँचाया जा रहा है।

यह शोबा उनके अंदर दीन और दुनिया के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने, इस्लामी शऊर को ज़िंदा रखने और एक मुकम्मल इस्लामी शख़्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा कर रहा है। ख़्वातीन का रूहानी बीमारियों का इलाज़ और उनके मसाइल का इस्तिख़ारा भी इस डिपार्टमेंट के तहत किया जाता है।

IQ CENTER

वक़्त की ज़रूरतों को समझते हुए तहरीक उलमा ए हिन्द ने IQ Center के नाम से एक अहम शोबा क़ायम किया है। इसके तहत हिंदुस्तान के बड़े शहरों में डिजिटल मदारीस और मुफ़्त लाईब्रेरी क़ायम करने की जद्दोजहद जारी है।

इस शोबे का मक़सद यह है कि नई तकनीक के ज़रिये दीन की तालीम को आम किया जाए और नौजवान नस्ल को इल्म-ए-दीन और इल्म-ए-दुनिया दोनों से रोशन किया जाए।

डिजिटल मदारीस तालीम को आसान और दायरे को वसीअ बना रहे हैं, जबकि मुफ़्त लाईब्रेरी इल्म के तालिबों के लिए एक कीमती सहारा बन रही हैं।

IQ SCHOOL

तहरीक उलमा-ए-हिन्द का एक और अहम और बसीरत-आफ़रीन शोबा **IQ School** है, जहाँ एक ही छत के नीचे दीनी और दुनियावी तालीम को बेहतरीन अंदाज़ में फ़राहम किया जा रहा है। यह एक ऐसा इदारा है जहाँ बच्चे 12th क्लास तक आते आते बा क़ायदा आलिम ए दीन बन जायेंगे।

यहाँ बच्चों को न सिर्फ़ आधुनिक तालीम (**Modern Education**) दी जाती है, बल्कि साथ ही साथ क़ुरआन, सुन्नत, अख़लाक़ और इस्लामी तरबियत का ख़ास एहतिमाम भी किया जाता है, ताकि एक ऐसी नस्ल तैयार हो जो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो।

اَلْحَمْدُلِلّٰہِ अब तक इस तरह के 2 स्कूल क़ायम किए जा चुके हैं और मज़ीद स्कूलों के क़ियाम के लिए कोशिशें जारी हैं। यह शोबा दरअसल तालीम के उस मुकम्मल तसव्वुर की अक्सबंदी करता है, जिसकी आज उम्मत को सख़्त ज़रूरत है।

इन तमाम शोबा-जात पर ग़ौर किया जाए, तो यह हक़ीक़त वाज़ेह हो जाती है कि तहरीक उलमा ए हिन्द महज़ किसी एक गोशे में काम करने वाली तंजीम नहीं, बल्कि उम्मत के हर तबक़े बच्चों, नौजवानों, और ख़ुसूसन मुस्लिम बहनों को दीन से जोड़ने और उनकी मुकम्मल तामीर करने का एक जामे निज़ाम पेश कर रही है।

यह तहरीक इल्म की रौशनी, अमल की पुख़्तगी और सुन्नियत की ख़ुशबू को हर दिल तक पहुँचाने का एक मुबारक सफ़र है और اَلْحَمْدُلِلّٰہِ यह सफ़र लगातार तरक़्क़ी की मंज़िलों की तरफ़ गामज़न है।

तहरीक की जानिब से हिस्से वाली कुरबानी

आज के दौर में एक ही घर में कई लोगों पर कुरबानी वाजिब हो जाती है लेकिन इल्म की कमी की वजह से लोग एक बकरा कुरबानी करके ये गुमान करते हैं कि सब का वाजिब अदा हो गया और इस तरह लोग वाजिब अदा न होने की वजह से गुनाहगार हो जाते है।

आवाम को गुनाह से बचाने और मुसलमानों की कुरबानी का वाजिब अदा करने में मदद करने के लिए तहरीक उलमा ए हिन्द हर साल हिस्से वाली कुरबानी का एहतमाम करती है ताकि मुसलमान हिस्से वाली कुरबानी में हिस्सा लेकर अपना वाजिब अदा कर सके और गुनाह से बच सके।

तहरीक उलमा ए हिन्द की जानिब से कुरबानी का इंतेज़ाम

اَلْحَمْدُلِلّٰہ तहरीक उलमा ए हिन्द हर साल की तरह इस साल भी हिस्से वाली कुरबानी का मुकम्मल और भरोसेमंद इंतेज़ाम कर रही है।

इस इंतेज़ाम की ख़ास बात यह है किः

- कुरबानी शरीअत के तमाम उसूलों के मुताबिक़ अदा की जाती है।
- जानवर का इंतिख़ाब एहतियात और दीनी रहनुमाई के साथ किया जाता है।
- कुरबानी के बाद गोश्त को सही तरीक़े से तक़सीम किया जाता है।
- ग़रीब और मुस्तहिक़ लोगों तक भी इसका हिस्सा पहुँचाया जाता है।

ऐ अज़ीज़ान-ए-इस्लाम!

यह दुनिया फ़ानी है और आख़िरत बाक़ी रहने वाली है। यहाँ का माल, दौलत और ज़िंदगी सब यहीं रह जाएगी, लेकिन जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च किया जाएगा, वही हमारे काम आएगा।

तो आइए, इस मुबारक मौक़े को ग़नीमत जानिए और तहरीक उलमा ए हिन्द के साथ हिस्से वाली कुरबानी में शरीक़ होकर इस अज़ीम इबादत का हिस्सा बन जाइए।

आपका एक हिस्सा न सिर्फ़ आपकी कुरबानी को मुकम्मल करेगा, बल्कि किसी ग़रीब के घर में खुशी भी पहुँचाएगा, किसी भूखे के लिए रिज़्क का ज़रिया भी बनेगा और اِن شاءاللہ आपकी आख़िरत के लिए ज़ख़ीरा-ए-नजात भी साबित होगा।